न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 19/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1.रतनीदेवी पत्नि चैनाराम		1.महेशाराम पुत्र श्रीराम जाति
2.चेनाराम पुत्र बनाराम		जाट निवासी उण्डू तहसील शिव
3.रूगनाथ पुत्र बनाराम		2.ग्राम पंचायत उण्डू जरिये,सरपंच
जाति जाट निवासी उण्डू		ग्राम पंचायत उण्डू तहसील शिव

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 186 दिनांक 20.01.2004 जो ग्राम पंचायत, उण्डू द्वारा अप्राथी सं.01 महेशाराम के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1.श्री मुकेश जैन अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री राऊराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी सं. 01 की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 16.05.2018

1. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 महेशाराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी उण्डू ने सरपंच ग्राम पंचायत, उण्डू के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम पंचायत उण्डू की आबादी में उसका प्लोट है जिस पर उसका 10 वर्षो से कब्जा है। इसलिये भूखण्ड का विक्रय विलेख प्रदान कराया जावे। इस पर ग्राम पंचायत, उण्डू ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 156(1) के तहत पट्टा संख्या 186 दिनांक 20.01.2004 को जारी किया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि अप्रार्थी को जारी पट्टा की उनके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है जिस पर कब्जा प्रार्थीगण का है ग्राम पंचायत ने नियमो में निर्धारित प्रकिया को नहीं अपना कर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। प्रार्थीगण ने गलत एंव नियम विरूद्ध पट्टा जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत उण्डू से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री राऊराम चौधरी उपस्थित हुए, जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादग्रस्त पट्टा की भूमि पर प्रार्थी व उसके पिता का लगातार कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है, अप्रार्थी संख्या 01 का इस भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण के पिता

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बनाराम का विवादग्रस्त भूमि पर कई वर्षो से कब्जा चला आ रहा था उसकी भूमि पर दो कमरे बने हुए एंव चीणो के टुकड़ो लगाकर बाउण्ड्री की हुई है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम गंचायत उण्डू द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिक रूप से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है,स्थल निरीक्षण एंव नक्शा फीस की राशि जमा नहीं कराई है। विधि सम्मत आपति नोटिस जारी नहीं किया गया है। नोटिस किस स्थान पर चस्पा किया गया है, पर कोई अंकन नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा दौलाराम जो ग्राम पंचायत काश्मीर का सरपंच था,के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है, जबकि दौलाराम ग्राम पंचायत काश्मीर का सरपंच था जिसे ग्राम पंचायत उण्डू के पट्टे जारी करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नियम 156(1) के तहत जारी किया गया है जो गलत है क्योकि वादग्रस्त पटटा की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। इसलिये प्रार्थीगण की पैतृक भूमि पर नियम विरूद्ध जारी पट्टा होने से खारिज किया जाए।

4. इसके जवाब में अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी द्वारा जिस नाप व पाड़ोस का परिसर बताया है वह परिसर मय मकान अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा की भूमि पर लोकेट नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा आबादी भूमि में उनके कब्जा सुद प्लाट का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत उण्डू के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था। जिस पर पत्रावली संख्या कायम कर 3 पंचो की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की हैं, नोटिस जारी किया गया है। इसके पश्चात् आपतियां आमंत्रित की गई थी। यदि प्रार्थीगण की भूमि होती तो उसी समय उजरदारी पेश करते, परन्तु कोई उजरदारी पेश नहीं की है। मौका कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम 156(1) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। इसलिये प्रार्थीगण की निगरानी निराधार,गलत एंव विधि विरूद्ध होने से मय खर्चा खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। ग्राम पंचायत,उण्डू से प्राप्त पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कियां। ग्राम पंचायत उण्डू ने अप्रार्थी संख्या 01 के हक में नियम 156(1) के तहत पट्टा संख्या 186 जारी किया है। जिसे खारिज करने हेतु प्रार्थीगण ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड क्रय/पट्टा प्राप्त करना चाहता हैं तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के 25 रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25 रूपये जमा कराने चाहिये। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राशि जमा कराने का कोई

जिला कलक्टर
बाड़मेर

साक्ष्य पत्रावली में नहीं है,एक नजरी नक्शा आवेदन पत्र पर अवश्य उपलब्ध है। यह नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। पत्रावली पर मौका रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है, मगर मौका निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 का कितने वर्षो से कब्जा है। नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्यिों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। मगर नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गई है इसका अंकन नोटिस पर नहीं है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से पट्टे वाली भूमि ग्राम पंचायत उण्डू में स्थित है और पट्टे जारी करने की सारी कार्यवाही श्री दौलाराम सरपंच ग्राम पंचायत काश्मीर के हस्ताक्षरों से संपादित हुई है जबकि ग्राम पंचायत उण्डू की भूमि पर ग्राम पंचायत काश्मीर के सरपंच को पट्टा जारी का कोई अधिकृत आदेश नहीं है। यह पट्टा ग्राम पंचायत उण्डू ने नियम 156(1) के तहत जारी किया है।इस नियम के तहत (1) पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये निम्नलिखित मामलो में अंतरित कर सकेगी–

(क)जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो,

(ख) जहॉ कोई अतिचार हो या लेख्बद्ध किये जाने जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझाती हो कि नीलाम उस भूमि का निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा

(2) किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विधमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी में स्थित है,जो कीमती भूमि एंव विकसित क्षेत्र की भूमि है। जिस पर एंव आस–पास में बिजली,पानी एंव सड़को की तमाम सुविधाऐं प्राप्त है। आबादी का क्षेत्र होने से भविष्य मे ग्राम पंचायत के कई विकास हेतु निर्माण कार्य भी हो सकते है इसके अतिरिक्त भूमि का आवंटन नीलामी से किया जाता तो ग्राम पंचायत को अधिक राशि प्राप्त हो सकती है जिस राशि से ग्राम पंचायत के कई विकास के कार्य सम्भाव्य है। नीलामी सम्बन्धी प्रकिया से आवंटन नहीं कर कम कीमत पर मिलावट कर पट्टा जारी किया गया है,जिससे तमाम प्रकिया अवैधानिक प्रतीत होती है।इस प्रकार ग्राम पंचायत की पत्रावली से एंव मौका कमेटी की रिपोर्ट से यह

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्पष्ट है कि नियम 156 की पूर्ण पालना नहीं की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत उण्डू ने पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड की विधिवत जॉच नहीं कर नियम 145 से 156 में निर्धारित प्रकिया की पालना नहीं कर, अप्रार्थी संख्या 01 महेशाराम के हक में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा अप्रार्थी संख्या 0 महेशाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 186 दिनांक 20.01.2004 खारिज किया जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर